## **IDEAL FORMAT FOR WRITING AN APPLICATION:-**

- 1. Date -
- 2. Subject In one line only
- 3. Issue Description Write full details of the issue.
- 4. **Public issue -** Whether the issue mentioned is a public issue? How? Approximately how many people are affected, how are they affected and since when.
- 5. **Violation -** Which values, rights (FR & DPSP), laws are being violated. To the extent possible, cite the relevant law, rule, or order that is being violated (if possible, attach a copy of that law) Add the relevant articles from the Constitution.
- 6. **Officer concerned with the issue -** Name, Designation, Department, Ministry etc.
- 7. Other related departments/officers E.g. senior officers and other departments like Department Vigilance Committees etc., Elected representatives etc.
- 8. **Demand -** Clearly mention your demand and what steps do you expect from the authorities? Also mention in how many days you want the solution.
- 9. **Particulars and Name of the Applicant** Mention the names of those who are writing the application. If it is through the organisation then mention all the required particulars.
- 10. **Evidence** Attach evidence Example- photos, videos, relevant laws, orders, court judgments etc.

## EXAMPLE OF AN APPLICATION WRITTEN BY ONE OF OUR CITIZEN CHAMPIONS FROM BASIA, JHARKHAND.

प्रति,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, ग्मला

विषय: राशन कम वजन के वितरण के सम्बन्ध में

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है की सोनमेर गाओं, पंचायत प्रखंड बसिया में सोनमेर में राशन कार्ड धारी सभी परिवार के प्रति 5 kg चावल का भागीदारी होना चाहिए। लेकिन हमें प्रति व्यक्ति केवल 4.5 kg चावल ही मिलता है।और हमें पैसा पूरे 5 किलो का देना होता है। झारखण्ड सरकार की झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रलाणी आदेश, 2016 के अध्याय 11, भाग ३(V) के अनुसार पात्रता परिवार के प्रतेयक व्यक्ति को 5 किलो राशन हर महीने मिलना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के हमारे अधिकार का गंभीर उल्लंघन हो रहा है यह राष्ट्रीय खादान सुरक्षा अधिनियम, 2013 के धारा 10 का भी उल्लंघन है।

28/08/2017 को पदाधिकार प्रखंड बिसया को यह आवेदन दिया गया था। इसके आलावा, पन्था पंचायत मुखिया को भी इस आवेदन की एक प्रतिलिपि दी गई थी। इस आवेदन के माध्यम से इस मुद्दे पे एक महीने के अंदर कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। एक महीना पूरा होने के बाद भी इस मुद्दे पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मुखिया और पदाधिकारी को दिए गए आवेदन की प्रतिलिपि इस आवेदन के साथ संलग्न है।कानूनी तौर पे इनका निवारण 30 दिन के अंदर होना चाहिए।

राज्य सरकार से यह विनती है की आवश्यक कार्यवाही की जाए।राशन वितरण का काम सोनमेर ग्राम में मोनिका सहायता समूह ने लिया हुआ है।आपसे निवेदन है की हमारी इस शिकायत का जल्द से जल्द निवारण किया जाए।

आपके विश्वासी

सोनमेर ग्राम संगठन